न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 109/2019 दायर तारीख 21.05.2019

अनवान

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..........प्रार्थी

बनाम

01. सोहनलाल पिता नन्दा जाति रेगर निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
02. कमला पुत्री नन्दा जाति रेगर निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
03. सीता पुत्री नन्दा जाति रेगर निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
04. लाड पुत्री नन्दा जाति रेगर निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
05. विमला पुत्री नन्दा जाति रेगर निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
06. मोहन पिता खाना जाति बलाई निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
07. अम्बा पिता खाना जाति बलाई निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
08. सुशीला पत्नि शम्भुलाल जाति रेगर निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
09. प्रहलाद पिता तेजसिंह जाति राजपुत निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
10. चन्दसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
11. प्रतापसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
12. नारायणसिंह पिता मानसिंह जाति राजपुत निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
13. अमरसिंह पिता मानसिंह जाति राजपुत निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
14. ताराचन्द पिता देबीलाल जाति रेगर निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– पैरोकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 17.06.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरोकार तहसीलदार बिजौलियां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चान्दजी की खेड़ी पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां के आराजी नम्बर 1164/1055 रकबा 4–00 बीघा, आराजी नम्बर 1179/1055 रकबा 5–00 बीघा, आराजी नम्बर 1141/1055 रकबा 9–18 बीघा, आराजी नम्बर 1248/1055 रकबा 0–02 बीघा, आराजी नम्बर 1269/1055 रकबा 3–00 बीघा, खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नम्बर 1164/1055 रकबा 4–00 बीघा, आराजी नम्बर 1179/1055 रकबा 5–00 बीघा, आराजी नम्बर 1141/1055 रकबा 9–18 बीघा, आराजी नम्बर 1248/1055 रकबा 0–02 बीघा, आराजी नम्बर 1269/1055 रकबा 3–00 बीघा दर्ज रेकॉर्ड नक्शा लठ्ठा में आराजी नम्बर अंकित नही होने से सुनवाई की जाकर नक्शा लट्ठा में तरमीम करना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षीगण सोहनलाल, कमला, सीता, लाड, विमला, सुनिता, मोहन, अम्बालाल, नारायणसिंह, अमरसिंह, ताराचन्द रेगर उपस्थित जिन्होंने जवाब प्रस्तुत कर मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने में मुझे कोई आपति नहीं हैं एवं न हीं भविष्य में कोई आपति की जावेंगी तरमीम कराना फरमावें।

प्रकरण का DILRMP के तहत् निस्तारण किया जाना अपेक्षित हैं। अतः दर्ज भूमि के नक्शे में तरमीम किया जाना हम उचित समझते हैं। नक्शे में तरमीम करने हेतु विपक्षीगणों ने उक्तानुसार सहमति व्यक्त की हैं।

बहस पेरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा चान्दजी की खेड़ी पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां के आराजी नम्बर 1164/1055 रकबा 4–00 बीघा, आराजी नम्बर 1179/1055 रकबा 5–00 बीघा, आराजी नम्बर 1141/1055 रकबा 9–18 बीघा, आराजी नम्बर 1248/1055 रकबा 0–02 बीघा, आराजी नम्बर 1269/1055 रकबा 3–00 बीघा, खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नम्बर 1164/1055 रकबा 4–00 बीघा, आराजी नम्बर 1179/1055 रकबा 5–00 बीघा, आराजी नम्बर 1141/1055 रकबा 9–18 बीघा, आराजी नम्बर 1248/1055 रकबा 0–02 बीघा, आराजी नम्बर 1269/1055 रकबा 3–00 बीघा दर्ज रेकॉर्ड नक्शा लठ्ठा में आराजी नम्बर अंकित नही होने से सुनवाई की जाकर नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner